20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 /2015-16 पुनरीक्षण निग-1833-I-16

जहीरउद्दीन पुत्रश्रीवशीरउद्दीन जाति मुसलमान
निवासी- ग्राम गाजीखेड़ी तहसील व जिला
विदिशा

... आवेदक

बनाम

1. शाहउद्दीन पुत्र गुलामउद्दीन
नि0 लुहांगीमोहल्ला, विदिशा
2. गुलामउद्दीन पुत्र वशीरउद्दीन नि0लुहांगीमोहल्ला,
विदिशा
3. नजीरउद्दीन पुत्रवशीरउद्दीन
4. ग्यासउद्दीन पुत्र ताजउद्दीन
5. आफताबउद्दीन
6. फैजउद्दीन
7. परवेज उद्दीन, पुत्रगणश्रीताजउद्दीन नि0लुहांगी विदिशा
8. कनीज फातमा पत्नि शाकिरअली
नि0हाउसिंग बोर्ड के पीछे, हरे मजार के पास
भोपाल
9. नफीस फातमा उर्फ चंदो पत्नि सैयद एहसानअली
नि0 मकबरे वाली हवेली, मिर्जापुर गंजबासौदा
10. लतीफ फातमा उर्फ शाहीन वी पत्नि नईमउद्दीन
नि0 डॉ. दुराना के स्कूल के सामने, लटेरी
11. अजीजफातमा उर्फ सुरैया बेगम पत्नि मुजम्मिलहुसैन
नि0 पुख्ता मस्जिद के पास, सीहोर
12. शवाना वी पत्नि हमीदखां नि0 रामकुण्ड
मोहल्ला नरसिंहगढ़
13. सगीरउद्दीन पुत्र सलीमउद्दीन
14. शकीला वी पत्नि सलीमउद्दीन
15. शहाना वी पत्नि सैयद साजिदअली

...2

दिनांक 8-6-16 को
श्री लखनसिंह धाकड़
अभि. द्वारा प्रस्तुत।
8-6-16

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

3.4.

16. सुहाना वी पत्नि सलीमउद्दीन

17. सना ना0बा0पुत्री सलीमउद्दीन स0 मां शकीलावी

निवासी-लुहगंगीमोहल्ला, विदिशा

... अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 06-6-2016

न्यायालय, तहसीलदार महोदय, तहसील विदिशा

प्र0क्र0 8/अ-27/92-93 वमामले मेहराजउद्दीन बनाम गुलामउद्दीन कस्वा विदिशा । अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि,

गैरनिगरानीकर्ता के पिता गुलामउद्दीन के भाई मेहराजउद्दीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 178 भू-राजस्वसंहिता का आवेदन प्रस्तुत किया और खसरा नंबर 415, 417, 450 के बावद पृथक खाता कायम कराने का आवेदन दिया । जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा बताया गया कि इन भूमियों पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व स्थापित नहीं है, यह भूमियां उसके स्वत्व की हैं । स्वत्व का प्रश्न निहित होने के कारण प्रकरण में कार्यावाही स्थगित रही । तथा प्रकरण में पुन: चालू किया गयाऔर जिसमें आवेदक द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी. पी. सी. का आवेदन दिनाक 13-01-2016 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनीस फातमा का स्वर्गवास 15-2-2014 को हो गया है, यह आवेदन बिना पूर्ण सुनवाई के तथा अवधि बाहर होते हुए जिसकी अवधि 90 दिवस है, के पश्चात बिना अवधि बढ़ोन आवेदन के व अवधि के अंदर प्रकरण में वारिसान को न लाने के कारण प्रकरण अबेट होने के बावजूद भी दिनांक 6-6-2016 को आवेदन स्वीकार कर पक्षकार बनाये जाने का निर्देश त्रुटिपूर्ण दे दिया है। इस आलोच्य आदेश से पुनरीक्षणकर्ता दु:खित है। अत: निम्न प्रमुख आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

1: यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6-6-16 प्रकरण आये रिकार्ड, पत्रावली एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्यहै।

... 2

18- फरीद खांन पुत्र हामिद खांन (मृत) वारिसान
(अ) यासमीन बेवा फरीद खांन
(ब) इलमा पुत्री फरीद खांन (
(स) मोहसिन पुत्र फरीद खांन
निवासीगण - मस्जिद के पास भानपुर, भोपाल (म० प्र०)

19- शरीफ खांन पुत्र हामिद खांन, निवासी मस्जिद के पास भानपुर, भोपाल

20- फरहत की पत्नी जहीर खांन पुत्री हामिद खांन
निवासी - ग्राम तलेन, जिला शाजापुर

21- साजिया की पत्नी नवेद पुत्री हामिद खांन
निवासी - ग्राम लटेरी, जिला विदिशा

22- कुलसुम पुत्री हामिद खांन,
निवासी - मस्जिद के पास भानपुर, भोपाल

23- हामिद खांन, निवासी मस्जिद के पास भानपुर

24- शहनाज की पत्नी नसीम मिर्जा, निवासी = पुराना नाका ऐशबाग, जहांगीराबाद कालोनी, भोपाल

25- शाहिदा की पत्नी मासूद अहमद, निवासी 3A/2 लालालाजपतराय कॉलोनी बाग दिलकुशा, भोपाल

26- जाहिदा की पत्नी इकबाल अहमद, निवासी 118 बी नवीन नगर ऐशबाग, भोपाल

नोट :- माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08/03/18 के अनुसार संशोधन

[signature] 05/04/18
(L. S. Dhaked
Adv.)

...कोलावी
...दकगण
...नाम
...प्र०
...जउद्दीन
...दन
...ता
...या
...है,
...कारण
...या
...दन
...0 दिवस
...ण में
...दिनांक
...है।
...रण

...या ...य ...ी ...जह ...दय ...कगण ...ी ...संभव ...रूप में ...र ...त्रुटि की है। ...दय आदेश ...किये जाने ...र्ता ...ीन मुसलमान ...ल व जिला

आये रिकार्ड, पत्रावली एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। .. आवेदक

...2

[signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1833-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील विदिशा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-27/92-93 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार विदिशा के समक्ष माननीय व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में विधिवत सुनवाई कर कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार कर पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिये गये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के तहत यह व्यवस्था है कि मृतक के वारिसों को 90 दिवस के अंदर अभिलेख पर लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें चूक करने पर प्रकरण अवैट हो जाने से निरस्ती योग्य होता है, इस कानूनी प्रश्न पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न करते हुए विधि के विपरीत आदेश पारित कर दिया है, इसलिए आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में इस बात पर विचार नहीं किया कि यदि अवधि के पश्चात कोई कार्यवाही की जाना है तो उसके लिए आधार क्या है, इस बावत न तो अवधि क्षम्य का आवेदन है और न ही इसका	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई विवरण आवेदन में प्रस्तुत किया है कि समय पर विना वजह अभिलेख में मृतक को रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि धारा-178 भू-रा0 संहिता की कार्यवाही तभी संभव है, जब सहखातेदार के रूप में मृतक वारिसों को नामांतरण के रूप में अभिलेख पर आने के पश्चात ही बंटवारे की कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाना चाहिए ऐसा न करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.01.2016 को आवेदन दिया गया है तथा दिनांक 23.01.2016 को अनीस फातिमा के दिनांक 15.02.2014 एवं हाजिरा बी के वर्ष-2013 में मृत हो जाने के कारण उनके वारिसों को अभिलेख पर लिए जाने का आवेदन दिया गया है जो समयावधि में है। उक्त आवेदन को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। आवेदक जान-बूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाह रहे हैं। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 28.04.2016 में तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि अन्नावेदक (आवेदक) आदेश 22 नियम 4 का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने आलोच्य आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा मृतकों के वारिसों का नाम संशोधन करने के जो आदेश दिए हैं, उसमें कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और ना ही उक्त आवेदन अवधि के बाहर माना जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में कार्यवाही माननीय उच्च् न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही 01.01.2016 को प्रारंभ की गई है और वारिसों को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदन 13.01.2016 को प्रस्तुत कर दिया गया है। दर्शित	

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1833-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	